

सं सं. रा एफ एस पी डी/ .बै. /

/सी पी -टैग- & एच /2017-18

दिनांक 10 अप्रैल 2017

~~अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
सभी वाणिज्य बैंक  
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक  
सभी राज्य सहकारी बैंक~~

प्रिय महोदय,

**बैंकों द्वारा मधुमक्खी पालन गतिविधियों परियोजनाओं का वित्तपोषण**

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार फसल की उत्पादकता को बढ़ाने तथा किसानों की आय में वृद्धि करने में मधुमक्खी पालन की अहम भूमिका को देखते हुए देश में वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने पर जोर देता रहा है। इस संदर्भ में, भारत सरकार ने मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे किसानोंपालकों के लिए मधुमक्खी / क्षमता निर्माण कार्यक्रम, मधुमक्खी कॉलोनी, मधुमक्खी के छत्ते का वितरण, वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को अपनाने के लिए प्रशिक्षित किसानोंमधुमक्खी पालकों हेतु उपकरण, मधुमक्खी प्रजनकों का विकास, एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र/उत्कृष्टता केंद्र इत्यादि का विकासइसके अलावा, वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा समन्वित बागवानी विकास मिशन राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड को वैज्ञानिक घटक को समाविष्ट किया गया "मधुमक्खी पालन के लिए परागण सहायता" में (एमआईडीएच) मधुमक्खी पालन के समग्र विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

02. वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को अपनाने के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य इकाई अपेक्षित होगी जिसमें मधुमक्खी कॉलोनियां 50, फ्रेम मधुमक्खियां 8, मधुमक्खी का छत्ता एवं अन्य सहायक उपकरण, मधुमक्खी पालन उपकरण इत्यादि शामिल होंगी एवं जिसमें अनुमानित निवेश रु. 2.20 से रु. 2.50 लाख होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित गरीब किसानोंवंचित श्रेणियों /किसानों/भूमिहीन श्रमिकों / 40 के लिए % की दर से सब्सिडी, जिसकी सीमा 88000/- प्रति इकाई है, समन्वित बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत (एमआईडीएच) श.घटक के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है "मधुमक्खी पालन के लिए परागण सहायता" ऐष राशि का प्रबंध लाभार्थी द्वारा बैंक ऋण / निजी स्थोत से करना है।

03. भारत सरकार ने इच्छा व्यक्त की है कि बैंक वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के वित्तपोषण के लिए आगे आएंसके अनुरूप, सभी बैंकों से अनुरोध किया जाता है कि वे मधुमक्खी पालन वित्तपोषण को प्राथमिकता दें और इस संबंध में अपने नियंत्रक कार्यालयोंशाखाओं / को आवश्यक अनुदेश जारी करें।

04. आप इस संबंध में की गई कार्रवाई से हमें अवगत कराएं।

भवदीय

-Sd-

डॉवी जी मुखोपाध्याय

मुख्य महाप्रबंधक

### राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

**National Bank for Agriculture and Rural Development**

कृषि क्षेत्र नीति विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 2653 0007 • फैक्स: +91 22 2653 0009 • ई मेल: [fspd@nabard.org](mailto:fspd@nabard.org)

Farm Sector Policy Department

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 2653 0007 • Fax: +91 22 2653 0009 • E-mail: [fspd@nabard.org](mailto:fspd@nabard.org)

पृष्ठांकन संख्या संसं पी-सीटीएजी / 74 /एफएसपीडी.एच /2017-18

सचिव, भारत सरकार, कृषि & किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि विभाग, सहकारिता एवं किसान कल्याण, कृषि भवन, नई दिल्ली 110001.

के पालनिसामी

डॉ के पालनिसामी .  
उप महाप्रबंधक-